22.2.21 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। अप्रार्थीगण के सम्बन्ध में रिट याचिका हेतु जरिये एस0डी0ओ0 दिनांक 27.7.20 को भिजवाया गया था किन्तु अप्रार्थी गण हाजिर नहीं हुए हैं अतः अप्रार्थीगण के खिलाफ एकतरफा किये जाने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं रहा है। अतः अप्रार्थीगण के खिलाफ एकतरफा की जाकर फैसला बंद किया जाता है। वास्ते प्रार्थना पत्र फैसल दिनांक 18.3.21 को पेश हो।

SDO बेकवड़ी

18.3.21 पत्रावली पेश हुई पक्षकारान परिकेन उपस्थित/पत्रावली नकल ..... हेतु दि. 31.3.21 को पेश हो।

SDO बेकवड़ी

31.3.21 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक पक्ष द्वारा कार्य स्थगित स्थगन है फैसल दिनांक 6.4.21 को पेश हो।

SDO बेकवड़ी

6.4.21 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। अप्रार्थी गैर हाजिर। उनके खिलाफ पूर्व में एकतरफा दिनांक 22.2.21 को की जा चुकी है अतः फैसला बंद किया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी वकील की बहस एक तरफा सुनी गई। मंतव्य के हालात संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम कालेड़ा तहसील गंगापुर की आराजी सं. 7 के खाता सं. नया पुराना 547.65 किता 7 रकबा 3.98 है0 की प्रार्थीया संयुक्त खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थीगण का इस आराजी से कोई वास्ता सरोकार नहीं है प्रार्थीया का पाईपा कुंआई पेश है सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में है। अप्रार्थीगण का आराजी से लेना देना नहीं है अतः अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 4 व उसके मित्र, नौकर, रिश्तेदार, परिवार हाली, सीरी, ठेकेदार आदि को जरिये न्यायालय की अस्थायी निषेधाज्ञा सौंपे के लिए पाबन्द किया जाये कि प्रार्थीया के कब्जे काश्त स्थायित्व आधिपत्य उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें ना ही वादग्रस्त आराजीयात के उपयोग उपभोग में व्यवधान उत्पन्न करें, आराजीयात को नष्ट भ्रष्ट करे ना ही ऐसा कोई कार्य करे जिससे प्रार्थीया अपनी आराजी से शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त से वंचित हो।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया मौखिक अवलोकन का ध्यानपूर्वक गौर किया गया। प्रार्थीया के पाईपा निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु तीनों आवश्यक किन्तु यथा प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन, अपरिवर्तनीय क्षति अपने पक्ष में साबित कर पा रही है अतः मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का हक रखती है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक पाबन्द किया जाता है कि वे प्रार्थीया के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने में बाधा उत्पन्न नहीं करें। यह प्रार्थना पत्र [illegible] अधिकार नहीं करता [illegible] अधिकार का नवन [illegible] तय होगा, खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

SDO बेकवड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2022.07.29 10:47:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner